

अनुबन्ध – I**(पैरा 1.7)****2013-14 को समाप्त विगत पांच वर्षों के बजटीय अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय**

(₹ करोड़ में)

| व्यय शीर्ष | 2009-10 | | | 2010-11 | | | 2011-12 | | | 2012-13 | | | 2013-14 | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | बीई | आरई | वास्तविक | बीई | आरई | वास्तविक | बीई | आरई | वास्तविक | बीई | आरई | वास्तविक | बीई | आरई | वास्तविक |
| सर्वेक्षण | 489.28 | 462.36 | 359.00 | 303.72 | 284.10 | 286.00 | 314.33 | 308.55 | 341.00 | 335.11 | 548.97 | 477.00 | 483.89 | 487.59 | 511.00 |
| अन्वेषण ड्रिलिंग | 444.98 | 745.55 | 456.00 | 945.62 | 602.14 | 521.00 | 1068.98 | 706.68 | 652.00 | 1337.45 | 785.38 | 737.00 | 1097.67 | 642.26 | 440.00 |
| विकास ड्रिलिंग | 497.07 | 490.36 | 381.00 | 509.03 | 352.59 | 397.00 | 502.82 | 391.66 | 506.00 | 568.66 | 412.38 | 381.00 | 591.91 | 652.87 | 846.00 |
| पूंजी उपस्कार और सुविधाएं | 414.00 | 400.00 | 264.00 | 425.00 | 374.50 | 266.00 | 484.06 | 460.00 | 383.00 | 538.50 | 774.96 | 806.00 | 619.67 | 526.00 | 620.00 |
| विदेशी परियोजनाएं | 430.97 | 277.07 | 89.00 | 251.61 | 311.08 | 154.00 | 144.46 | 108.50 | 15.00 | 588.57 | 499.66 | 136.00 | 291.82 | 192.90 | 196.00 |
| संयुक्त उद्यम/इक्विटी निवेश | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2030.00 | 2288.58 | 119.00 | 665.68 | 287.29 | 153.00 | 10.00 | 48.17 | 353.00 | 496.02 | 7937.31 | 6738.00 |
| कुल | 2276.30 | 2375.34 | 1557.00 | 4464.98 | 4212.99 | 1743.00 | 3180.33 | 2262.68 | 2050.00 | 3378.29 | 3069.52 | 2890.00 | 3580.98 | 10438.93 | 9351.00 |

अनुबन्ध – II

(पैरा 4.2.1)

इन हाऊस सर्वेक्षण कार्य करने के लिए ओआईएल द्वारा समयबद्ध अधिग्रहण, प्रसंस्करण एव व्याख्या

| क्र.सं. | ब्लॉक का नाम | भूभौतिकी विभाग | | | | | | | भूभौतिकी और भूवैज्ञानिक रिजर्वार विभाग के समयान्तर | भूवैज्ञानिक और रिजर्वार विभाग | | | नवम्बर 2014 तक एपीआर के लिए लिये गये कुल दिन |
|---------|------------------------------|------------------------------|------------|-----|--|---|--------------------------|-----|--|--|---|-----------------|--|
| | | अधिग्रहण के लिए लिया गया समय | | | प्राप्ति और अधिग्रहण के बीच समय अंतराल | प्रक्रिया में लिया गया समय | | | | व्याख्या हेतु लिया गया समय | | | |
| | | से | तक | दिन | | से | तक | दिन | | से | तक | कुल (दिनों में) | |
| 1 | राजगढ़ प्रोदेशिक लाईन (2 डी) | 01/04/2009 | 30/05/2009 | 60 | | प्रक्रिया धीन | | | | डाटा प्रोसेसिंग प्रक्रिया धीन है। | | | 2069 |
| 2 | देहाल-मकूम (2 डी -3 सी)) | 21/11/2009 | 03/02/2010 | 76 | - | प्रसंस्करण और विवरण आईओएन-जीएक्सटी (जनवरी, 2013) द्वारा पूरा किया गया था। | | | 939 | 01.09.2012 | 31.01.2013 | 153 | 1168 |
| 3 | जगून-डिगबोई (2 डी) | 17/12/2009 | 10/06/2010 | 176 | 105 90 | 08/04/2011 10/09/2010 | 19/05/2011 23/12/2010 | 147 | | एनईएफ परियोजना के क्षेत्राधिकार के अधीन | | | 1804 |
| 4 | डिगबोई-पनगी (2 डी) | 08/12/2010 | 16/03/2011 | 99 | 261 | 02/12/2011 | 26/04/2011 | 146 | | डाटा विवरण आरंभ किया जाना है | | | 1815 |
| 5 | सोनारी (2 डी प्रायोगिक) | 14/03/2011 | 28/03/2011 | 15 | - | अप्रैल, 2011 में विश्लेषण पूरा किया गया। | | | 32 | प्राप्त प्रसंस्कृत डाटा केवल डाटा है विवरण हेतु कोई डाटा उपलब्ध नहीं | | | 1309 |
| 6 | सेंटी-जयपुर (2 डी) | 03/05/2011 | 20/05/2011 | 237 | - | 01/07/2012 | 31/03/2014 | 639 | - | - | डाटा का विवरण किा जाएगा जब अध्ययन क्षेत्र चुना जाएगा। | 1116 | |
| 7 | सेंटी-जयपुर-नामरूप (2 डी) | 19/12/2011 | 27/05/2012 | | - | | | | - | | | | |
| 8 | नामरूप-बोरहाट-सेपखटी (2 डी) | 10/12/2012 | 10/01/2013 | | - | | | | - | | | | |
| 9 | नामरूप-बोरहाट-सेपखटी (2 डी) | 26/04/2013 | 21/05/2013 | | - | | | | - | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|------------|------------|------|-----|--|------------|---------------|------|--|------------|-------------------|------|
| 10 | टिओक (2 डी) | 26/04/2013 | 17/05/2014 | 387 | | लाईनों की चार सं. का प्रसंस्करण पूरा किया है शेष लाईनें प्रक्रियाअधीन हैं। | | प्रक्रिया धीन | | अभी तक डाटा प्रसंस्करण पूरा नहीं हुआ है। प्रसंस्कृत डाटा को पूरा होने की प्राप्ति के बाद व्याख्या आरंभ की जानी है। | | | 581 |
| 11 | हल्दीबाड़ी-दिखारीपत्थर (3 डी) | 01/04/2008 | 15/03/2009 | 349 | 25 | 10/04/2009 | 25/03/2010 | 351 | | 01.02.2007 | 17.08.2007 | 198 | 923 |
| 12 | मोरन (पायलट 2 डी -3 सी) | 16/03/2009 | 29/03/2009 | 14 | - | प्रसंस्करण और विवरण आईओएन-जीएक्सटी (जनवरी, 2013) द्वारा पूरा किया गया था। | | - | 1250 | 01.09.2012 | 31.01.2013 | 153 | 1417 |
| 13 | हल्दीबाड़ी-दिखारीपत्थर (3 डी) | 01/04/2009 | 24/05/2009 | 54 | 0 | 10/04/2009 | 25/03/2010 | 350 | 730 | 01.04.2012 | 30.11.2012 | 244 | 1378 |
| 14 | नमसाई (3 डी) | 14/12/2009 | 30/03/2010 | 107 | 464 | 08/07/2011 | 24/11/2011 | 140 | | एनईएफ परियोजना के क्षेत्राधिकार के अधीन | | | 1700 |
| 15 | डेहाल (पायलट 3 डी -3 सी) | 05/03/2010 | 30/05/2010 | 87 | | प्रसंस्करण और विवरण आईओएन-जीएक्सटी (जनवरी, 2013) द्वारा पूरा किया गया था। | | | 822 | 01.09.2012 | 31.01.2013 | 153 | 1062 |
| 16 | सेंटी-टराजन (3 डी) | 07/05/2010 | 07/06/2010 | 32 | | नहरकटिया 3डी ब्लॉक के साथ प्रसंस्कृत अर्थात 28.03.2013 (पूर्णता तिथि) | | 1023 | 135 | 10.08.2013 | 26.11.2013 | 109 | 1299 |
| 17 | सोनारी (3 डी) | 15/12/2010 | 13/03/2011 | 89 | 229 | 28/10/2011 | 08/03/2012 | 132 | 974 | 07.11.2014 | - | Study in progress | 1447 |
| 18 | डिरोई-डिपलिंग (3 डी) | 25/04/2011 | 25/05/2011 | 31 | 310 | 30/03/2012 | 24/05/2012 | 55 | 897 | 07.11.2014 | - | Study in progress | 1316 |
| 19 | नहारकटिया (3 डी) | 26/12/2011 | 27/05/2012 | 154 | 0 | 31/05/2012 | 28/03/2013 | 302 | 135 | 10.08.2013 | 26.11.2013 | 109 | 699 |
| 20 | टिओक (3 डी) | 27/12/2012 | 08/04/2013 | 103 | 0 | 01/04/2013 | 31/09/2013 | 183 | 0 | 01.10.2013 | 04.04.2014 | 186 | 472 |
| 21 | साडिया (3 डी) | 03/01/2014 | ----- | | | प्राप्ति प्रक्रियाधीन है। | | | | अभी तक डाटा प्रसंस्करण पूरा नहीं हुआ है। प्रसंस्कृत डाटा को पूरा होने की प्राप्ति के बाद व्याख्या आरंभ की जानी है। | | | 330 |
| 22 | सोलागुरी-बोरबन (संविदा 3 डी) | ----- | 03/04/2009 | | - | प्राप्ति और प्रसंस्करण संविदा 08/04/2010 को पूरी की गई। | | 370 | 1362 | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 273 | 2005 |
| 23 | डिगबोई-मार्गेरिटा (संविदा 3 डी) | 14/12/2009 | ----- | ... | - | प्राप्ति और प्रसंस्करण संविदा 11/02/2011 को पूरी की गई। | | 425 | 292 | 01.12.2012 | 28.08.2013 | 271 | 988 |

अनुबंध – III

(पैरा 5.2)

अपनी रिगों की खरीद हेतु ठेके

| क्र. सं. | निविदा/संविदा सं. | संक्षिप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष | लेखापरीक्षा अवलोकन | ओआईएलज़ प्रतिक्रिया (अप्रैल 2015) | टिप्पणी, यदि कोई है तो |
|----------|--|---|--|--|---|
| 1 | एसडीजी9009पी11/07, 7950293 दिनांक 23.02.2007, 7950293 (संधोधन सं. 2 दिनांक 23.08.2007) | <ul style="list-style-type: none"> निविदा में प्रसंस्करण विलम्ब ओआईएल को प्रतियोगात्मक दरों के साथ अतिरिक्त आपूर्ति को सुनिश्चित किये जाने से वंचित करते हुए 2006-07 से 2013-14 की अवधि के दौरान रिगों की खरीद हेतु सभी तीन पीओज़ आपूर्तिकर्ता (अर्थात सीपीटीडीसी) को दिये गये। बीआरसी मानदंड से विचलन | ड्रिलिंग/वर्कओवर की खरीद में अतिरिक्त विलम्ब के कारण चार्टर्ड किराये के रिग पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ गई। प्रबंधन ने भी खरीद आदेश दिये जाने के बाद रिग की विशिष्टताओं में परिवर्तन नहीं किया जिससे लेखापरीक्षा के अनुसार बोली खरीद में पारदर्शिता की कमी हुई तथा आपूर्तिकर्ता को अवांछित लाभ दिये गये। | <ul style="list-style-type: none"> पहले से ही निविदा को देने के लिए कार्यक्रम की कोई समय-सारणी नहीं थी जिसे अब शामिल किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ओआईएल सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए निविदा को अंतिम रूप दिये जाने के लिए समय सीमा तैयार नहीं की है। ओआईएल से कोई प्रतिक्रिया नहीं। 2008 में एक 750 एचपी रिग की आपूर्ति के लिए लेखापरीक्षा अवलोकन के लिए ओआईएल ने बीआरसी | <ul style="list-style-type: none"> ओआईएल ने लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार किया। ओआईएल से कोई प्रतिक्रिया नहीं। ओआईएल का उत्तर तर्कसंगत नहीं है। अन्य बोलीदाताओं को समान अक्सर प्रदान नहीं किये गये। यह भी सीवीसी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। (जुलाई 2007)। |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>मानदंड को न मानते हुए रिग की बनावट/विशिष्टता में संशोधन किया। ओआईएल की टिप्पणी है कि बीआरसी के साथ कोई समझौता न करते हुए तकनीकी विशिष्टताओं में कुछ सीमा तक सुधार किया गया।</p> <ul style="list-style-type: none"> • निवृत्त रिगों की प्रतिस्थापना के लिए रिगों की खरीद की गई। यद्यपि, दोनों घरेलू और किराये की रिगों के परिनियोजन को ट्रिलिंग निष्पादन को संतुलित करने के लिए इष्टतम किया गया। | |
|--|--|--|--|---|--|

अनुबंध – IV

(पैरा 5.2)

चार्टर्ड भाड़े के लिए संविदा

| क्र. सं. | निविदा/संविदा संख्या | संक्षिप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष | लेखापरीक्षा आपत्तियाँ | ओआईएल की प्रतिक्रिया (अप्रैल 2015) | टिप्पणी, यदि कोई हो |
|----------|--|--|--|---|--|
| 1 | OIL/CCO/DRLG/ GLOBAL/141/20 06, CONT/GL/DRLG /259/10, OIL/CCO/DRLG/ GLOBAL/165/20 07, OIL/CCO/DRLG/ GLOBAL/ 204/2007, CONT/GL/DRLG /307/13, OIL/CCO/DRLG/ GLOBAL/166/20 07, OIL/CDG4167/D RLG/12 and CONT/GL/DRLG /288/12 | <ul style="list-style-type: none"> कोई मानक नहीं निर्धारित किया गया और अनुमत रिग संघटन समय के प्रति संविदा नियमावली में नहीं शामिल किया गया; रिग संघटन हेतु अधिक समय लिया गया। ओआईएल ने चार्टर्ड हायर रिग संविदाओं में अलग-अलग एलडी दर शामिल किया क्योंकि इसने तीन मामलों में 15 प्रतिशत और चार मामलों में 7.5 प्रतिशत लगाया। | मानक के अभाव में ओआईएल संविदा को अंतिम रूप देने हेतु समय अनुसूची की निगरानी रखने में विफल रही। | <p>संविदा उल्लिखित निर्धारित संघटन अवधि प्रस्तावित रिग के स्थान से संबंधित सभी बोलीदाताओं पर लागू है। हालांकि, बोलीदाता के प्रस्तावित उपलब्ध रिग के स्थान से संबंधित संघटन अवधि निर्धारण की संभावना की भविष्य की संविदाओं में तलाश की जाएगी।</p> <p>ओआईएल ने आगे बताया कि तीन संविदाओं में संविदायें 2009 से पूर्व की गई थी (अर्थात् संविदा नियमावली आने से पूर्व) और बोर्ड के सुझाव पर उच्च दर (7.5 प्रतिशत की बजाए अधिकतम 15 प्रतिशत) को संविदा में शामिल किया गया था। हालांकि चार संविदाओं में चूँकि संविदायें 7.5 प्रतिशत एलडी की अधिकतम सीमा की संविदा नियमावली आने के</p> | लेखापरीक्षा ने चार्टर्ड भाड़े के संबंध में ओआईएल का संविदा प्रबंधन देखा और अपने आप कुछ प्रणालीगत कमियाँ पाई गई। निर्णीत हर्जाने की दर 15 प्रतिशत से घटाकर 7.5 करने के संबंध में ओआईएल का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कटौती निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नहीं है और कंपनी के हित के विपरीत भी है। |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| | | | | पश्चात संविदाओं में इसका पालन किया गया। | |
| 2 | OIL/CDG4167/DRLG/12 and CONT/GL/DRLG/307/13 | दो प्रतिस्थापन संविदाओं में रिग संघटन हेतु परिहार्य समय अनुमत किया गया। | रिग संघटन हेतु अधिक समय दिया गया। | उन्ही दो पार्टियों को दी गई दो प्रतिस्थापन संविदाओं के संबंध में ओआईएल ने बताया कि उद्योग मोबिलाइजेशन समय 180 दिनों से 210 दिनों तक अनुमत किया गया था, ठेकेदार ने पिछले स्थान से रिग खाली होने के 41 दिनों के पश्चात मोबिलाइजेशन पूरा कर लिया था। इसी प्रकार अन्य संविदाओं में वास्तव में लिया गया समय क्रमशः 39 से 63 दिन था। | समान पार्टी को दिए गए दो प्रतिस्थापन संविदा का प्रबंधन का उत्तर स्वतः साक्ष्य है कि संविदाओं में अधिक समय अनुमत किया गया क्योंकि वास्तव में लिया गया समय अनुमत समय से बहुत कम था। अतः पीएससी में निर्धारित समयसीमा के भीतर अंवेशण गतिविधियों को समय पर पूरा करने हेतु अनावश्यक मोबिलाइजेशन समय अनुमति से बचने के लिए अनुसूची संघटन अवधि में कमी की संभावना थी। |
| 3 | OIL/CCO/DRLG/GLOBAL/141/2006, OIL/CCO/DRLG/GLOBAL/165/2007, OIL/CCO/DRLG/GLOBAL/204/2007 and OIL/CCO/DRLG/GLOBAL/166/2007 | ओआईएल मौजूदा संविदा की समाप्ति से पूर्व ड्रिलिंग रिग के चार्टर्ड भाड़े हेतु प्रतिस्थापन संविदा को अंतिम रूप देने में विफल रही जिसके परिणाम-स्वरूप ओआईएल ने संविदा अवधि को दो वर्ष बढ़ा दिया जबकि संविदा के संबंधित खण्ड में केवल एक वर्ष का विस्तार अनुमत था। | चूँकि रिग्स ओआईएल के प्रचालन क्षेत्र के बहुत नजदीक कार्य कर रहे थे और प्रतिस्थापन संविदा के रूप में उसी पार्टी को संविदा दी गई थी इसलिए मोबिलाइजेशन हेतु | आपत्ति स्वीकार कर ली गई। | |

2015 की प्रतिवेदन संख्या 42

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| | | | अनुमत समय को रोका जा सकता था। | | |
| 4 | CONT/GL/DRLG/259/10, OIL/CDG4167/DRLG/12 and CONT/GL/DRLG/288/12 | ओआईएल ने चार्टर्ड भाड़े पर लेने हेतु रिग संविदा के प्रतिस्थापन को अंतिम रूप देने हेतु क्रय माँग जारी होने की तिथि से एलएओ जारी करने में अधिक समय (दो वर्षों से अधिक) लिया। | ओआईएल ने संविदात्मक शर्तों और निर्बंधनों के प्रावधानों के विपरीत पिछले संविदाओं में अनावश्यक विस्तार दिया। | एलएओ जारी होने के पश्चात् पार्टी विस्तार पर विस्तार माँग रही थी। | ओआईएल का उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति से संबंधित नहीं है। |
| 5 | OIL/CCO/DRLG/ GLOBAL/ 204/2008 | रिग उपयोग के अवसर की हानि जो निर्णय न लेने के कारण 130 दिनों तक बेकार पड़ा रहा। | रिग्स का निष्क्रिय पड़े रहना | कोई प्रतिक्रिया नहीं | |
| 6 | OIL/CCO/DRLG/ GLOBAL/166/20 07 and OIL/CCO/DRLG/ GLOBAL/165/20 07 | संविदा के नवीनीकरण में देरी के कारण ओआईएल को कुल 113 दिनों की हानि हुई जिसके परिणामस्वरूप 24 से 61 दिनों तक रिग निष्क्रिय पड़े रहे। | संविदा के नवीनीकरण में देरी | मान ली गई | |
| 7 | OIL/CCO/DRLG/ GLOBAL/ 204/2008 | स्थान आदि में परिवर्तन में ओआईएल द्वारा देरी आदि कारण रिग के मोबिलाइजेशन में 43 दिनों की देरी के लिए ठेकेदार से पूर्व में वसूली गए ₹ 2.62 करोड़ का प्रतिदाय करना पड़ा। | स्थान उपलब्ध कराने में देरी | मान ली गई | |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| 8 | OIL/CCO/DRLG/ GLOBAL/166/20 07 and OIL/CCO/DRLG/ GLOBAL/141/20 06 | चूँकि दो संविदाओं में ओआईएल केवल 210 दिनों तक एलडी वसूल कर सकी जहां देरी 309 से 368 दिनों के बीच थी, इसलिए ओआईएल के हितों की सुरक्षा नहीं की जा सकी। | संविदा में त्रुटिपूर्ण खण्ड | मान ली गई | |
| 9 | OIL/CCO/DR LG/GLOBAL/ 141/2006 and OIL/CCO/DR LG/GLOBAL/ 144/2006 | <ul style="list-style-type: none"> जेबी एनर्जी प्राइवेट लिमि. को दिए गए एक 1400 एचपी (न्यूनतम) के किराए पर लेने हेतु ठेकेदार द्वारा पहले वाली बनावट में परिवर्तन कर दिया गया; शिव-वाणी ऑयल एण्ड गैस एक्सप्लोरेशन सर्विसेज लि. को दिए गए वर्कओवर दो रिग को भाड़े पर लेने हेतु एक रिग की विशेषता में 600 एचपी से बदलकर 750 एचपी तथा मॉडल संख्या बदलने की अनुमति दी गई थी। | ओआईएल ने संविदा निर्धारण के पश्चात ठेकेदार रिग की विशेषताओं में परिवर्तन करने की अनुमति दी। | रिग मॉडल/विशेषता में परिवर्तन स्वीकार करने का निर्णय ओआईएल द्वारा लिया गया था क्योंकि यह तकनीकी रूप से स्वीकार्य था। इसके अलावा, एक मामले में ड्रिलिंग कार्यक्रम में वृद्धि को पूरा करने हेतु रिग की तत्कालिकता के कारण रिग आपूर्तिकर्ता बदल दिया गया था और दूसरे मामले में प्रचालन कारणों से रिग मॉडल को अधिक क्षमता में बदल दिया गया। | ओआईएल का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह निविदाकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सीवीसी के दिशानिर्देशों के विरुद्ध है। |

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|
| 10 | OIL/CCO/DRLG/ GLOBAL/166/20 07 | ओआईएल ने मै. शिव वानी तेल तथा गैस एक्प्लोरेशन सर्विसिज लिमिटेड, नई दिल्ली को उस पिछली ठेके दर पर देयो का भुगतान किया जो नई ठेका दर से अधिक था, हालांकि ठेकेदार सहमत हो गया तथा मौजूदा ठेका दरों में से कम दरों को स्वीकृत करने की पुष्टि की (जनवरी 2012)। | ठेकागत शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 5.18 करोड़ का अधिक भुगतान करना पड़ा। | स्वीकृत हुआ तथा वसूली कार्रवाई प्रारम्भ की गई । | |
| 11 | OIL/CDG2531/D RLG/12 and CDG9056P13 | ओआईएल ने सितम्बर 2013 में एक 1400 एचपी ड्रिलिंग रिंग को किराए पर लेने के लिए मूल्य बोली खोली। ओआईएल ने अन्य ठेके में बोलीदाता के कार्य न करने के कारण एल1 बोलीदाता (पीएलयू) को एलओए जारी किए बिना मूल्य बोली खोलने से एक वर्ष बीत जाने के पश्चात संविदा को रद्द करने का निर्णय लिया (सितम्बर 2014)। निर्णय लेने (संविदा को रद्द करने का) में एक वर्ष के विलम्ब के कारण ओआईएल रिगों की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सका जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। | निर्णय लेने में विलम्ब | चूककर्ता पार्टी जो पिछले ठेके के प्रति रिग तैयार नहीं कर सकी, के साथ उसी सर्विस के लिए अन्य ठेका करना ओआईएल को उसी स्थिति में पहुंचा देगा। तदनुसार, द्वितीय संविदा को रद्द करने का निर्णय लिया गया। | तथ्य यह है कि ओआईएल ने कीमती समय बर्बाद किया तथा दण्ड देने में असक्षम रहा क्योंकि एलओए जारी नहीं किया गया था। |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | ओआईएल ने एलओए जारी न करने के कारण रिंग तैयार न करने के लिए ठेकेदार पर दण्ड संबंधी उपबंध लागू करने का अवसर भी गवां दिया। | | | |
|--|--|---|--|--|--|

अनुबंध – V

(पैरा 6.1.2)

2009-10 से 2013-14 तक नामांकित क्षेत्र के तहत पीईएल ब्लॉको का परित्याग

| क्रम सं. | पीईएल का नाम | मूल मंजूरी की तिथि | मूल क्षेत्र (वर्ग किमी) | परित्यक्त/एमएल में रूपान्तरित क्षेत्र (वर्ग किमी.) | | क्षेत्र परित्याग/ एमएल में रूपान्तरण की तिथि | परित्याग करने तक किया गया कार्य | वर्तमान स्थिति | किया गया खर्च (₹ करोड़ में) |
|----------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|--|------|--|--|----------------|-----------------------------|
| 1. | मार्घरिटा | 10.11.1987 | 750 | जेवी में स्थानांतरित | 382 | 1993-94 | जगुन-1 तथा टोकलॉग-1 कुओं को वर्ष 1998 में ड्रिल एवं पूर्ण किया गया | परित्यक्त | 14.46 |
| | | | | प्रथम पुनः मंजूरी के दौरान परित्यक्त क्षेत्र | 92 | 01.04.02 | | | |
| | | | | विस्तार के दौरान परित्यक्त क्षेत्र | 92 | 01.04.06 | | | |
| | | | | अंतिम परित्यक्तता | 184 | 31.03.09 | | | |
| 2. | दमदम एक्स. (एनएफ-एफ), ब्लॉक बी+सी | 01.08.1985 | 395 | एमएल में रूपान्तरित क्षेत्र | 218 | 2001-02 | उमतरा-1 कुएं को 2009 में ड्रिल तथा पूरा किया गया | परित्यक्त | 36.57 |
| | | | | प्रथम पुनः मंजूरी के दौरान परित्यक्त क्षेत्र | 44 | 01.08.03 | | | |
| | | | | सपकैट एमएल में रूपान्तरित क्षेत्र | 105 | 2010-11 | | | |
| | | | | अंतिम परित्यक्तता | 28 | 31.07.2009 | | | |
| 3. | दमदम एक्स. (एफ), ब्लॉक सी | 10.11.1987 | 38 | प्रथम पुनः मंजूरी के दौरान परित्यक्त क्षेत्र | 9.5 | नवम्बर 1987 01.04.02 | उत्तरी दौर्मरा -1 को 2009 में ड्रिल किया गया | परित्यक्त | |
| | | | | द्वितीय पुनः मंजूरी के दौरान परित्यक्त क्षेत्र | 9.5 | 01.04.06 | | | |
| | | | | अंतिम परित्यक्तता | 19 | 05.11.2010 | | | |
| 4. | दीरक | 18.11.1995 | 170 | प्रथम पुनः मंजूरी के दौरान परित्यक्त क्षेत्र | 42.5 | 18.11.01 | फिलोबरी-1 कुएं को 2011 में ड्रिल तथा पूर्ण किया गया | परित्यक्त | 27.97 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|------------|--|--|---------------|------------|---|-----------|--------|
| | | | | द्वितीय पुनः मंजूरी के दौरान परित्यक्त क्षेत्र | 42.5 | 18.11.05 | | | |
| | | | | अंतिम परित्यक्तता | 85 | 05.04.2011 | | | |
| 5. | मुर्कोन्गस्लेक (एनएफ) | 25.12.1986 | 1307 | प्रथम पुनः मंजूरी के दौरान परित्यक्त क्षेत्र | 327 | 01.04.02 | मुर्कोगस्लेक-1 कुएं को 2012 में ड्रिल तथा पूर्ण किया गया | परित्यक्त | 16.29 |
| | | | द्वितीय पुनः मंजूरी के दौरान परित्यक्त क्षेत्र | 327 | 01.04.06 | | | | |
| | | | तृतीय पुनः मंजूरी के दौरान परित्यक्त क्षेत्र | 204 | 01.04.07 | | | | |
| | | | अंतिम परित्यक्तता | 449 | 05.04.2012 | | | | |
| 6. | मुर्कोन्गस्लेक (एफ) | 15.11.1987 | 191 | प्रथम पुनः मंजूरी के दौरान परित्यक्त क्षेत्र | 48 | 01.04.02 | मुर्कोगस्लेक-2 कुएं को 2013 में ड्रिल तथा पूर्ण किया गया | परित्यक्त | 112.16 |
| | | | द्वितीय पुनः मंजूरी के दौरान परित्यक्त क्षेत्र | 48 | 01.04.06 | | | | |
| | | | अंतिम परित्यक्तता | 95 | 17.07.2013 | | | | |
| 7. | बोरहट | 01.04.1988 | 222 | प्रथम पुनः मंजूरी के दौरान परित्यक्त क्षेत्र | 55.5 | 01.04.02 | <ul style="list-style-type: none"> • कुएं बलीमारा-2 को 2012 में पूरा किया गया एवं कुएं बारुआनगर-3 को 2013 में पूरा किया गया। • 81 वर्ग किमी क्षेत्र को पीएमएल में रूपान्तरित किया गया । | परित्यक्त | 86.62 |
| | | | द्वितीय पुनः मंजूरी के दौरान परित्यक्त क्षेत्र | 55.5 | 01.04.09 | | | | |
| | | | एमएल में रूपान्तरित क्षेत्र | 81 | 13.08.2013 | | | | |
| | | | अंतिम परित्यक्तता | 30 | 14.08.2013 | | | | |
| 8. | दीबरूगढ़ | नव. 1987 | 1230 | एमएल में रूपान्तरण | 186 | 21.01.1998 | परित्यक्त क्षेत्र के भाग को एक समेकित अध्ययन के भाग के रूप में वर्णित किया गया। | | 163.87 |
| | | | चाबुआ एमएल में रूपान्तरण | 189 | 12.06.2002 | | | | |
| | | | पहली परित्यक्तता | 214 | 2002-03 | | | | |
| | | | दूसरी परित्यक्तता | 214 | 2005-06 | | | | |
| | | | विस्तार | 427 | 14.02.2015 तक | | | | |

2015 की प्रतिवेदन संख्या 42

| | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|------|---|------|---------------|---|--|-------------------------------|
| 9. | टीनसुकिया | 15.11.1987 | 1665 | तीनसुकिया एमएल में रूपान्तरण | 250 | 07.12.2001 | परित्यक्त क्षेत्र के भाग को निकटवर्ती क्षेत्रों के साथ पुनः वर्णित किया गया। | विस्तार लागू | 136.49 |
| | | | | पहली परित्यक्तता | 257 | 2002-03 | | | |
| | | | | बाघजन एमएल में रूपान्तरण | 75 | 14.05.2003 | | | |
| | | | | तीनसुकिया एक्स. पीएमएल में रूपान्तरण | 185 | 17.05.2003 | | | |
| | | | | मेचाकी एमएल में रूपान्तरण | 195 | 19.05.2003 | | | |
| | | | | दूसरी परित्यक्त | 223 | 2005-06 | | | |
| | | | | मेचाकी एक्स. एमएल में रूपान्तरण | 9 | 06.07.2013 | | | |
| | | | | विस्तारण | 471 | 01.12.2014 तक | | | |
| 10. | जयरामपुर पीईएल | 28.10.1987 | 170 | प्रथम पुनः मंजूरी के दौरान परित्यक्त क्षेत्र | 146 | जुलाई, 1999. | <ul style="list-style-type: none"> • 2डी भूकम्पीय डाटा के 9 जीएलकेएम का अधिग्रहण • एक (1) कुएं को ड्रिल किया गया | छोड़ दिया | 4.40 |
| | | | | द्वितीय पुनः मंजूरी के दौरान परित्यक्त क्षेत्र | 6 | 01.04.2002 | | | |
| 11. | जयरामपुर एक्स पीईएल | 01.05.1990 | 185 | प्रथम पुनः मंजूरी के दौरान परित्यक्त क्षेत्र | 154 | जुलाई, 1999. | <ul style="list-style-type: none"> • 03.03.2019 तक मान्य ब्लॉक • 2डी भूकम्पीय डाटा के 75 जीएलकेएम का एपीआई • एक अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग स्थान (स्थान जेआरबी) रिलीज किया गया | जेआरबी स्थान को ड्रिल करने के लिए कार्रवाई की गई | जयरामपुर पीईएल के साथ मिल गया |
| | | | | द्वितीय पुनः मंजूरी के दौरान परित्यक्त क्षेत्र | 7.75 | 01.04.2002 | | | |
| 12. | नामचिक पीईएल (खरसगं-शोनकिंग एवं आसन्न क्षेत्र) | 30.04.1999 | 260 | पहले पुनः अनुदान के दौरान क्षेत्र छोड़ दिया गया | 65 | 13.03.2002 | <ul style="list-style-type: none"> • ब्लॉक 24.09.2020 तक वैध • 69 जीएलकेएम 2 डी डाटा का अधिग्रहण। 2003-07 के दौरान 2 डी भूकम्पीय डाटा का 30 जीएलकेएम का पीआई • 170 जीएलकेएम के अधिग्रहण और प्रसंस्करण का 2डी भूकम्पीय डाटा। व्याख्या प्रगती पर है। | ड्रिल लोक एनसीके -1 के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की गई | 24.33 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------|------------|--------|---|--------|----------------------------|--|--|-------|
| 13. | नामसई पीईएल | 25.11.1992 | 494 | पहले पुनः अनुदान के दौरान क्षेत्र छोड़ दिया गया | 124 | 17.08.2004 | <ul style="list-style-type: none"> • 2डी भूकम्पीय डाटा का 354 जीएलकेएम का एपीआई। • कुमचाई, खेरेम एवं नामसई क्षेत्र को कवर करने वाला 3 डी भूकम्पीय डाटा का 210 वर्ग मी. का एपीआई • एक (1) अन्वेषणात्मक कुँआ ड्रिल किया गया (एलओसी एनएसए) | अभ्यर्पित | 43.82 |
| 14. | दयोमाली पीईएल | 18.02.1999 | 365.16 | (i) जेवीसी ब्लाक (एएपी-ओएन-90/1) | 213.83 | 24.05.2005 | <ul style="list-style-type: none"> • भूवैज्ञानिक मैपिंग • 2डी भूकम्पीय डाटा का 70 जीएलकेएम का एपीआई। • एक (1) अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग स्थान छोड़ना • 96 नमूनों को भूरसायन विश्लेषण | 5 वें और 6 वें वर्ष के विस्तारण के साथ साथ सांविधिक विलम्ब के अन्तर्गत 211 दिनों का विस्तारण मांगा गया | 5.20 |
| | | | | (ii) दिओमाली - पीईएल | 151.33 | | | | |
| | | | | 151.33 वर्ग कि. मी. का 25% क्षेत्र छोड़ दिया गया | 37.83 | | | | |
| 15. | सादिया | 18.11.1995 | 1130 | पहले चार वर्षों का पुनः अनुदान (18.11.01): 282.5 वर्ग कि.मी. एक वर्ष का विस्तारण (18.11.05) अन्ततः छोड़ दिया गया | 282.5 | 17.11.2006 31.03.09 | (i) 2डी भूकम्पीय एपीआई (ii) ग्राउंड जीएम एवं एमटी सर्वेक्षण | छोड़ दिया गया | शून्य |
| 16. | लखीमपुर | 20.12.1995 | 4200 | पहले चार वर्ष पुनः अनुदान (20.12.01): 1050 वर्ग कि.मी. एक वर्ष विस्तारण (19.12.05) अन्ततः छोड़ दिया गया | 1050 | 19.12.2006 31.03.09 | (i) चार कुएं ड्रिल किए गए। कोई वाणिज्यिक खोज नहीं पाई गई। (ii) 2D भूकम्पीय एपीआई | छोड़ दिया गया | शून्य |

अनुबंध - VI
(पैरा 6.2.1)

एनईएलपी व्यवस्था के अन्तर्गत ओआईएल का निष्पादन

| एनईएलपी राउंड | प्रस्तावित ब्लाक | प्रस्तुत बोली | | | | दिया गया ब्लाक | | | | छोड़ दिया | परिचालन |
|------------------|---------------------|---------------|--------------|---------|------|----------------|-----------|---------|------|-----------|---------|
| | | गहरा पानी | उथला पानी | भूमि पर | जोड़ | गहरा पानी | उथला पानी | भूमि पर | जोड़ | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| I | 48 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| II | 25 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| III | 27 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| IV | 24 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| V | 20 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| VI | 55 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 |
| VII | 57 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| VIII | 70 | 5 | 4 | 5 | 14 | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 | 9 |
| IX | 34 | 6 | 5 | 6 | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| कुल | 360 | 21 | 11 | 35 | 67 | 14 | 5 | 21 | 40 | 13 | 27 |

अनुबंध – VII(पैरा 6.2.3)

एनईएलपी ब्लॉक में निर्णित हर्जानों के परिहार्य भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

| क्रम सं. | ब्लॉक का नाम | विस्तारण अवधि | छोड़ने की अवधि | निर्णित हर्जाना (₹ करोड़ में) | लेखापरीक्षा टिप्पणी |
|----------|---------------------|---|----------------|-------------------------------|--|
| 1 | एमएन-ओएनएन -2000/1 | 24.04.2005 से 23.10.2005 (चरण- I) 24.04.07 से 23.10.08 (चरण – II) | 06.01.2009 | 6.15 | कार्य कार्यक्रम के अनुसार मौजूदा 2 डी डाटा का अनुमोदन, भूकम्पीय डाटा के 500 जीएलके का पुनः प्रसंस्करण और 200 जीएलके का एपीआई तथा पूर्वानुमान सृजन, प्रौद्योगिकी- आर्थिक विश्लेषण और चरण- II का निर्णय जुलाई 2004 तक पूरा करना था, तथापि, प्रतिबद्ध एमडब्ल्यूपी की पूर्णता में विलंब के कारण प्रचालक को चरण - II प्रारंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ा जबकि फगरू राबर्टसन की व्याख्या रिपोर्ट के अनुसार ब्लॉक की सभी तीनों संभावनाएं आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं थी। तथापि, ओआईएल ने अपनी अन्वेषण अवधि में दो प्रतिबद्ध कुओं को ड्रिल नहीं किया और एलडी का भुगतान कर विस्तारण का लाभ लिया। तत्पश्चात ब्लॉक जनवरी 2009 में छोड़ दिया गया था। |
| 2 | आरजे-ओएनएन - 2000/1 | 18.01.2005 से 17.07.2005 (चरण – I) 18.07. 2007 से 21.11. 2007 (चरण – II) | 09.02.2010 | -- | विवरण पैरा सं. 6.2.3.1 (ii) में है। |
| 3 | आरजे-ओएनएन- 2001/1 | 23.07.2006 से 22.07.2007 (चरण – I) | 10.10.2009 | 2.32 | एपीआई जनवरी 2005 में पूर्ण हो गई थी और 22/23-12-2005 को आयोजित ओसी बैठक में दो स्थानों अर्थात् स्थान |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>बी (सेखरा) एवं स्थान सी (लुंखा) को एक वर्ष के विलम्ब के बाद जारी किया गया था। इसके अलावा, रिग दिवस दर के अन्तिम रूप में विलम्ब के कारण स्थान बी (सेखरा) में कुआं 31.5.2006 को पांच महीन से अधिक के विलम्ब के बाद ड्रिल किया गया था। इसी प्रकार, तीसरे स्थान को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के कारण स्थान सी (लुंका) में कुआं 10-01-2007 को ड्रिल किया गया था, जो 2 डी तथा 3 डी एपीआई की पूर्णता से दो वर्ष से अधिक विलम्ब के बाद तथा ओसी द्वारा ड्रिलिंग हेतु स्थान की विमुक्ति से 12 महीने से अधिक विलम्ब से था। अतः, ओसी द्वारा निर्णय लेने में विलम्ब तथा रिग दिन दरों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब एवं तीसरे स्थान को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के कारण, प्रंचालक को एलडी के परिणामी भुगतान सहित विस्तारण प्राप्त करने के लिए बाध्य होना पड़ा।</p> <p>यद्यपि ओआईएल चरण-॥ (एक अन्वेषण कुँए के साथ 100 वर्ग कि. मी. का 3 डी एपीआई) में एमडब्ल्यूपी से अवगत था, फिर भी 3 डी एपीआई के लिए संविदा को निर्धारित समय में अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका तथा इसके परिणामस्वरूप चरण-॥ अवधि में वचनबद्ध एमडब्ल्यूपी को पूरा करने के लिए 1.69/- करोड़ की राशि के अस्थाई एलडी के परिणामी भुगतान के साथ दो विस्तारण लेने पड़े थे जिनसे बचा जा सकता था यदि 3 डी एपीआई के लिए संविदा को समय पर अन्तिम रूप दिया गया होता।</p> <p>ओआईएल ने अनुचित योजना, समन्वय की कमी, रिग दिवस दर को</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------------------------|------------|------|--|
| | | | | | अन्तिम रूप देने में विलम्ब तथा ड्रिलिंग स्थानों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के कारण स्वयं द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप एलडी का भुगतान करना पड़ा। |
| 4 | आरजे-ओएनएन - 2002/1 | 23.06.2009 से 21.12.2009 चरण - II) | 28.12.2009 | 5.12 | <p>चरण-I में, 2डी डाटा के 1200 जीएलकेएम की व्याख्या आन्तरिक रूप से करने का निर्णय किया गया था तथा तदनुसार अक्टूबर 2005 के दौरान डाटा नई दिल्ली में वर्कस्टेशन में लोड किया गया था। यह दर्शाया जाना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि भूविज्ञान विभाग ने अप्रैल 2005 में ही सूचित किया था कि कई परियोजनाएं महत्वपूर्ण प्रवृत्ति की थीं जो व्याख्या कार्य के अनुसार लम्बित थीं तथा ब्लॉक आरजेओएनएन - 2002/1 के डाटा की व्याख्या करना संभव नहीं होगा तथापि डाँटा वर्कस्टेशन में लोड किया गया था। व्याख्या कार्य हेतु संविदा को अन्तिम रूप देने में इस प्रक्रिया में 16 महीने (सितम्बर 2005 से जनवरी 2007) की मूल्यवान अवधि बीत गयी थी। अतः समन्वय की कमी के कारण डाटा की व्याख्या के लिए संघ को 16 महीने का यथेष्ट विलम्ब वहन करना पड़ा था।</p> <p>2 डी भुकम्पीय डाटा की व्याख्या में विलम्ब के परिणामस्वरूप, चरण - I में वचनबद्ध एमडब्ल्यूपी पूरा नहीं हुआ था तथा चरण-II अवधि को 6 माह कम करने की प्रक्रिया में चरण-I अवधि को 6 माह तक बढ़ाना पड़ा था। चरण-II में कार्य का कार्यक्षेत्र भी बढ़ गया था चूंकि ओसी ने पीएससी में वचनबद्ध एमडब्ल्यूपी के अतिरिक्त लीड - I के</p> |

| | | | | | |
|---|------------------------|---------------------------------------|--------------|-------|--|
| | | | | | पूर्व तथा राजसर लोड-1 में 3.0 X 3.0 कि.मी. ग्रिड में 2 डी भूकम्पीय डाटा के 600 एलकेएम का एपी वचनबद्ध किया था। इसके अतिरिक्त, चरण - II (विस्तारित अवधि सहित) की समस्त अवधि (2 वर्ष) 2 डी ए + पी निविदा अन्तिम रूप देने में बीत गई थी अपर्याप्त योजना को दर्शाता है। |
| 5 | एए-ओएनएन- 2003/3 | 30.11.2009 से 29.05.2010 (चरण - I) | 29.05.2010 | 19.79 | ब्यौरे पैरा 4.3. (ii) में |
| 6 | आरजे-ओएनएन - 2004/3 | -- | 20.01.2012 | 22.93 | चूँकि पहले अन्वेषण चरण के दौरान आठ कुँओं की ड्रिलिंग की एमडब्ल्यूपी आवश्यकता के प्रति, जेओए के लिए पार्टियों ने केवल दो अन्वेषण कुँओं अर्थात् राचन - 1 एवं मदासर - 1 की ड्रिलिंग की थी। यह देखा गया था कि मै. जीजीआर ने अपनी समता में संघ हेतू तकनीकी सहायक एवं भगीदार के रूप में परियोजना की परिचालनात्मक ददाता में सुधार पर बार बार दिया था तथा ब्लॉक में परियोजना कार्य की धीमी प्रगति पर अपनी चिन्ता व्यक्त की थी जिसके परिणामस्वरूप एमडब्ल्यूपी वचनबद्ध पूरी न करने के लिए एलडी का अनावश्यक भुगतान हुआ। |
| 7 | एए-ओएनएन - 2004/1 | 28.06.11 to 27.12.2011 (चरण - I) | 27.12.2011 | 12.32 | ब्यौरे पैरा सं. 6.2.3.1 (i) में |
| | कुल | | 68.63 | | |

अनुबंध – VIII**(पैरा 7.1.1)****2013-14 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के लिये वस्तुपरक निष्पादन**

| वस्तुपरक निष्पादन | | 2009-10 | | | 2010-11 | | | 2011-12 | | | 2012-13 | | | 2013-14 | | |
|---------------------------|-------------------------|---------|----------|----------------|---------|----------|----------------|---------|----------|----------------|---------|----------|----------------|---------|----------|----------------|
| | | योजना | वास्तविक | (कमी)/ अधिक | योजना | वास्तविक | (कमी)/ अधिक | योजना | वास्तविक | (कमी)/ अधिक | योजना | वास्तविक | (कमी)/ अधिक | योजना | वास्तविक | (कमी)/ अधिक |
| सर्वेक्षण | 2डी (एलकेएम) | 1715 | 1307.87 | (407.13) | 1182 | 1149.45 | (32.55) | 1316.8 | 1396.91 | 80.11 | 500 | 223.77 | (276.23) | 490 | 499.24 | 9.24 |
| | 3डी (वर्ग कि.मी.) | 1002 | 984.29 | (17.71) | 661.36 | 618.62 | (42.74) | 1767 | 1837.69 | 70.69 | 1925 | 1795.22 | (129.78) | 718 | 928.48 | 210.48 |
| अन्वेषण कुओं की संख्या | | 20 | 16 | (4) | 20 | 13 | (7) | 24 | 16 | (8) | 25 | 19 | (6) | 17 | 9 | (8) |